क्र. जेपीडी/मुअ(वा)/सी-1/एफ.4 (236)/पार्ट-II/प्रे. 539 दिनांक 21.02.2008

आदेश

विषय- शीत लहर एवं पाला से प्रभावित लघु एवं सीमान्त काश्तकारों, जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, के चार माह के बिजली के बिलों की राशि का भुगतान माफ करने बाबत्।

राज्य में अभी हाल ही में जनवरी एवं फरवरी, 2008 में अत्यधिक शीतलहर एवं पाला पड़ने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उक्त स्थिति पर विचार कर राज्य सरकार ने लघु एवं सीमान्त कृषकों, जिनकी फसलें 50 प्रतिशत से अधिक खराब हो गई है, को सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित ''सहायता पैकेज'' देने का निर्णय लिया है :-

1. शीत लहर एवं पाला पड़ने से प्रभावित लघु एवं सीमान्त काश्तकारों की जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हो गई है उनसे चार माह अर्थात् बिलिंग माह दिसम्बर, 2007 से मार्च, 2008 तक के विद्युत बिलों की राशि वसूल नहीं की जायेगी।

2. इसके अतिरिक्त यह सहायता पैकेज उन काश्तकारों को भी दिया जायेगा जिन्होंने अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर स्वतंत्र रूप से धारित भूमि का कुल रकबा यदि ''लघु एवं सीमान्त कृषकों'' के लिये धारित रकबा के अनुसार है।

3. बिलों में दी गई छूट का पुनर्भरण राज्य सरकार के ''आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग'' द्वारा किया जायेगा।

इस विषय में सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता (ओ एण्ड एम), जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर ''शीत लहर एवं पाला'' से प्रभावित गाँवों के उपरोक्त श्रेणी के काश्तकारों की ग्रामवार एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध करायेंगे। इस सूची के आधार पर ही सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा बिलिंग माह दिसम्बर, 07 से मार्च, 08 के बिलों की राशि माफ करने की कार्यवाही की जाये।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात् दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण वरिष्ठ लेखाधिकारी (हेड क्वा.), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को प्रेषित की जाये। वरिष्ठ लेखाधिकारी (हेड क्वा.) इस संबंध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेंगे, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

यह आदेश जयपुर डिस्कॉम के निदेशक मंडल के अनुसमर्थन (Subject to ratification) की दशा में प्रसारित किये जाते हैं।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर
(बी.एल. अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

****